प्रेस विज्ञप्ति जनपद देवरिया
दिनांक 28.04.2025

थाना खामपार पुलिस द्वारा दूसरे व्यक्ति के नाम पर फर्जी तरीके से नौकरी कर रहा फर्जी अध्यापक/अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद देवरिया के कुशल निर्देशन में श्रीमान् अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी भाटपाररानी श्री शिवप्रताप सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में दिनांक 27.04.2025 को मु0अ0सं0-49/2021 धारा 419,420,467,468,471 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त संजय यादव उर्फ गुड्डू पुत्र धर्मदेव यादव निवासी ग्राम बरडीहा परशुराम परसन टोला थाना लार जनपद देवरिया को थाना खामपार पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम बंगरा के पास से गिरफ्तार किया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अवगत कराना है कि अभियुक्त संजय यादव उर्फ गुड्डू पुत्र धर्मदेव यादव उपरोक्त प्राथमिक विद्यालय विरमापट्टी वि0क्षे0 भाटपार रानी में सुरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र मानबहादुर सिंह सा0 कन्हौली खास देवरिया उ0प्र0 के नाम से फर्जी तरीके से कूटरचित दस्तावेज के आधार पर जुलाई 2010 से जुलाई 2020 तक नौकरी कर रहा था। दिनांक 02.04.2021 को वादी मुकदमा श्री शैलेन्द्र कुमार खण्ड शिक्षा अधिकारी भाटपार रानी जिला देवरिया द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराये जाने के बाद से ही अभियुक्त संजय यादव उर्फ गुड्डू पुत्र धर्मदेव यादव उपरोक्त विद्यालय से फरार चल रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-
1.संजय यादव उर्फ गुड्डू पुत्र धर्मदेव यादव निवासी ग्राम बरडीहा परशुराम परसन टोला थाना लार जनपद देवरिया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः–
1.थानाध्यक्ष महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी थाना खामपार जनपद देवरिया।
2.उ0नि0 रवीन्द्र नाथ सिंह थाना खामपार जनपद देवरिया।
3.उ0नि0 प्रियांशु कुमार दूबे थाना खामपार जनपद देवरिया।
4.का0 उपेन्द्र यादव थाना खामपार जनपद देवरिया।
5.का0 राहुल यादव थाना खामपार जनपद देवरिया।